देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™
JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/mmp/15 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | मंगलवार, 15 फरवरी 2022

भाग-2

जय श्रीराम....हो गया काम....

श्रीराम के आशीर्वाद से पीआरएन मे फल-फूल रही अवैध निर्माणकर्ताओ की अवैध बिल्डिंगे!!!

बिना नक्शे पास करवाए,बिना व्यवसायिक भू-उपयोग करवाए, बिना सेटबेक छोड़े,बिना पार्किंग के,सड़क सीमा मे आने वाली अवैध दुकान को मिला श्रीराम का अभयदान!!!

जेडीए के पीआरएन नॉर्थ ज़ोन सेकंड ज़ोन मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या 76,रजनी विहार पर बन रही अवैध दोमंजिला दुकान का मामला!!!

भोले श्रीराम की भोली बातें!!!

"80 फीट रोड के जो निशान लगाये गए है उसके पीछे दुकान बनाई गयी है, रोड पर निर्माण नहीं है"

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जेडीए के पीआरएन नॉर्थ ज़ोन सेकंड ज़ोन मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या 76,रजनी विहार पर बिना नक्शे पास करवाए,बिना व्यवसायिक भू-उपयोग करवाए,बिना सेटबेक छोड़े,बिना पार्किंग के,सड़क सीमा मे बन रही अवैध दोमंजिला दुकान का मामला!!!

दिनांक 07/02/2022(शिकायत के समय) को दुकान की स्थिति

जेडीए के पीआरएन नॉर्थ ज़ोन सेकंड ज़ोन मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या 76,रजनी विहार पर बिना नक्शे पास करवाए,बिना व्यवसायिक भू-उपयोग करवाए,बिना सेटबेक छोड़े,बिना पार्किंग सुविधा के दो मंज़िला अवैध दुकान का निर्माण करवाया जा रहा है|सबसे बड़ी बात यह है कि यह अवैध दो मंज़िला अवैध दुकान 80 फीट सेक्टर रोड की सड़क सीमा आती है लेकिन इसके बावजूद इस अवैध दोमंजिला दुकान का निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है|

ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्रीराम बड़ेसरा के संरक्षण मे बन रही है यह दो मंज़िला अवैध दुकान|

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जेडीए के जिन प्रवर्तन अधिकारी के जिम्मे इस अवैध दुकान को ध्वस्त करने का जिम्मा है वही इस अवैध दुकान को संरक्षण दे रहे है|हमारे द्वारा यह मामला जेडीए के संज्ञान मे लाने के बाद ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बड़ी हाजिरजवाबी से यह जवाब दिया गया कि ***"80 फीट रोड के जो निशान लगाये गए है उसके पीछे दुकान बनाई गयी है, रोड पर निर्माण नहीं है"***जबकि इन्ही प्रवर्तन अधिकारी द्वारा 80 फीट मे आने वाले अतिक्रमणों पर लाल निशान लगाए गए थे|

Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (EO) , Enforcement Officer - PRN-North	, , ,	Remarks	14-Feb-2022	८० फ़ीट रोड के जो निशान लगाए गए है उसके पीछे दूकान बनाई गई है रोड पर निर्माण नहीं है
Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (EO) , Enforcement Officer - PRN-North	, , ,	Partially Closed :Relief	14-Feb-2022	८० फ़ीट रोड के जो निशान लगाए गए है उसके पीछे दूकान बनाई गई है रोड पर निर्माण नहीं है

जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 14/02/2022 को दिया गया जवाब

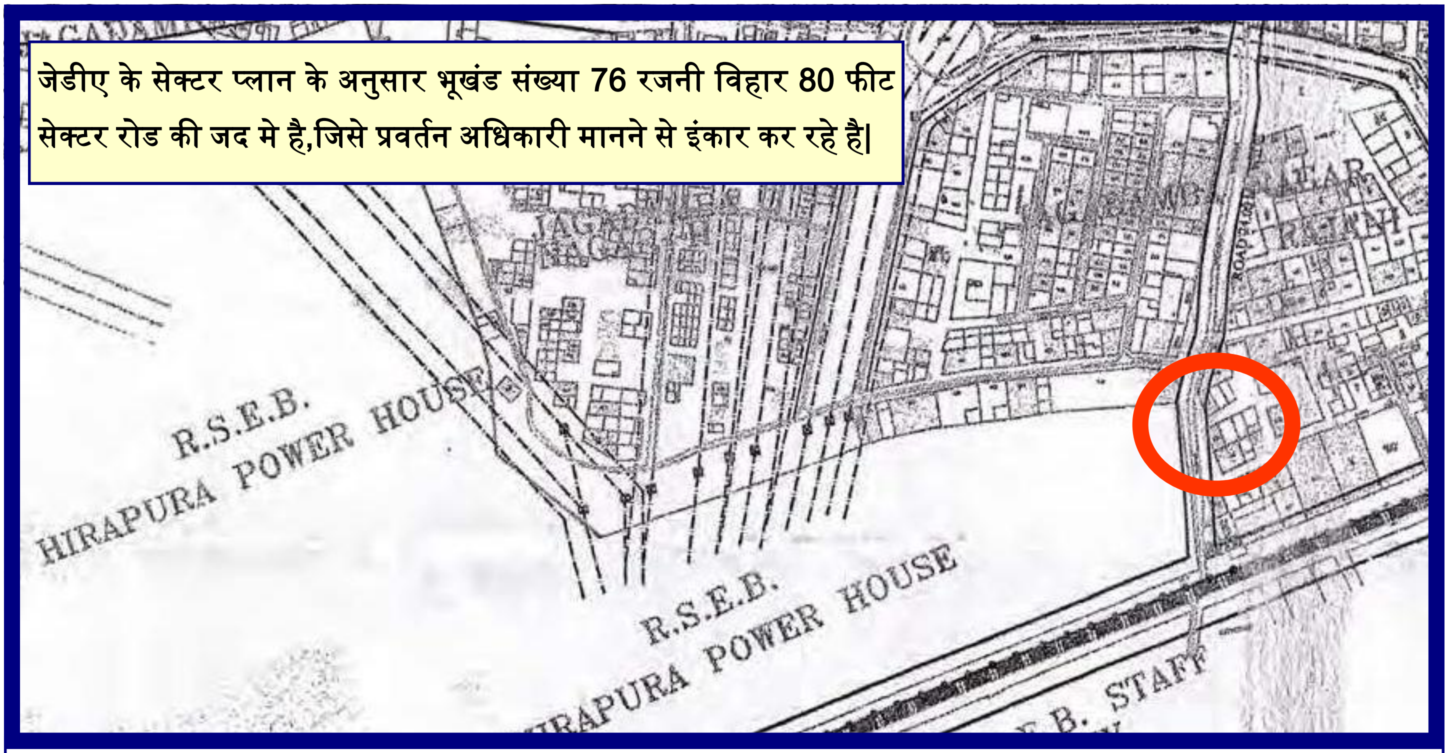

जेडीए के सेक्टर प्लान के अनुसार भूखंड संख्या 76 रजनी विहार 80 फीट सेक्टर रोड की जद मे है,जिसे प्रवर्तन अधिकारी मानने से इंकार कर रहे है|

जवाब मांगते सवाल?

क्या प्रवर्तन अधिकारी निर्माण स्थल पर सड़क की चौड़ाई को नपवाने को तैयार है?

स्थानीय निवासियों के अनुसार जिस रोड पर इस अवैध दो मंज़िला दुकान का निर्माण किया जा रहा है,वह 80 फीट सेक्टर रोड की सड़क सीमा मे आती है|इस दुकान के आजू-बाजू वाले भूखंडो पर जब जेडीए द्वारा लाल निशान लगाए जा चुके है तो यह कैसे संभव है कि इन निशानो के बीच स्थित यह दुकान लाल निशान की जद मे नहीं आएगी?सबसे बड़ी बात यह है कि रोड की पेमाईश करना ज़ोन के एटीपी और जेईएन का काम है ना कि पुलिस के अधिकारी का,लेकिन दुकान बनाने वाले को उपकृत करने के लिए ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा फाइल ज़ोन कार्यालय मे भेजने की बजाय ऐसा ऊटपटाँग जवाब देकर,परिवाद को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है|

क्या बिना नक्शे पास करवाए,बिना व्यवसायिक भू-उपयोग करवाए,बिना सेटबेक छोड़े,बिना पार्किंग सुविधा के करवायी जा रही इस दो मंज़िला दुकान का निर्माण वेध है?

यदि मान भी लिया जाए कि यह दुकान सड़क सीमा मे नहीं आ रही है तो क्या इसके बावजूद बिना नक्शे पास करवाए,बिना व्यवसायिक भू-उपयोग करवाए,बिना सेटबेक छोड़े,बिना पार्किंग सुविधा के करवायी जा रही इस दो मंज़िला दुकान का निर्माण वेध कहलाएगा?जब ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी यह स्वीकारोक्ति कर रहे है कि मौके पर दुकान का निर्माण किया जा रहा है तो क्या यह पता लगाना उनका दायित्व नहीं है कि यह निर्माण वैध है या फिर अवैध?यदि कोई दुकान सड़क सीमा मे नहीं आएगी तो क्या अवैध निर्माणकर्ता कोई भी अवैध निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है?क्या प्रवर्तन अधिकारी यह भूल गए है कि उनका दायित्व जेडीए विनियमों की पालना सुनिश्चित करना है ना कि खड़े रहकर अवैध निर्माण करवाना?

दिनांक 14/02/2022 को दुकान की स्थिति,

वर्तमान मे आवासीय भूखंड पर बिना नक्शे पास करवाए,बिना व्यवसायिक भू-उपयोग करवाए,बिना सेटबेक छोड़े,बिना पार्किंग सुविधा के दो मंज़िला दुकान का निर्माण किया जा चुका है|जो ज़ोन के जिम्मेदार प्रवर्तन अधिकारी को कतई अवैध नजर नहीं आता|